संशोधित भोपाल निवेश क्षेत्र

(असाधारण म. प्र. राजपत्र क्रमांक 67 दिनांक 23-03-93 में अधिसूचना प्रकाशित)

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 1993

क्र. एफ. 1 (37) 86-बत्तीस-मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) (क) के अधीन राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये भोपाल निवेश क्षेत्र, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1776-एफ. 1-50-बत्तीस-74, दिनांक 19 जून 1974 द्वारा गठित किया गया था, की सीमाओं में परिवर्तन करती है जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर—ग्राम राताताल, खजूरी, बीनापुर, गोलखेड़ी, घासीपुरा, पुरामन भवन, सत्तीखेड़ा, शामपुर, देवलखेड़ी, घाटखेड़ी, चौपड़ाकलां तथा ग्राम पिपलिया जाहिरपीर की उत्तरी सीमा तक।

पूर्व—ग्राम पिपलिया जाहिरपीर, कानासैया, झिरिया-खेड़ा, छावनी, आदमपुर, कोलुआखुर्द, लालपुरा, बांसिया, अमझरा, झगरिया, बर्राई, कटारा तथा ग्राम बागली की पूर्वी सीमा तक।

दक्षिण—ग्राम बागली, भौरीपुर, मक्सी, मिसरोद, बिलखिरिया खुर्द, हिनोतिया-आलम, बैरागढ़-चीचली, दौलतपुर, महुआखेड़ा, फतेहपुर-डोबरा, कुशलपुर. बरखेड़ी बाजयात, कलखेड़ा एवं ग्राम मालीखेड़ी की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिम—ग्राम मालीखेड़ी, रोलूखेड़ी, बरखेड़ा-नाथू, मुंगालिया छाप, जमोनिया-छीर, भोरी, बरखेड़ी-बोदर, बदरखां सड़क, परवलिया सड़क, चन्दूखेड़ी, कुराना, डोबरा, प्रेमपुरा, खेजड़ादेव, मनीखेड़ी-कोट, रोजीबेग एवं ग्राम रातातल की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. शर्मा, उपसचिव.